बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–20/2020 233 /पटना, दिनांक:– 12/07/22

**कार्यालय आदेश**

श्री पंकज कुमार कर्ण, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज के विरूद्ध विभागीय कार्यो के प्रति घोर उदासीनता बरतने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, उपस्थिति पंजी में अग्रिम उपस्थिति दर्ज करने, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर उपभोग करने और वापसी में उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करने, कार्यालय के कम्प्युटर में डाटा Delete करने/कराने, कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा Data deletion संबंधी प्रतिवेदन में छेड़–छाड़ करने, कार्यालय कर्मियों को भड़काने तथा वरीय पदाधिकारी को फसाने तथा बदनाम करने की साजिश करने के आरोप के आलोक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–690/सां० दिनांक–09.12.2020 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप प्रारूप पर निदेशालय के पत्रांक–25 दिनांक–06.01.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत श्री कर्ण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री पंकज कुमार कर्ण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–27.03.2021 के समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाये जाने पर उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ० सं०–86 सहपठित ज्ञापांक–594 दिनांक–02.06.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री पंकज कुमार कर्ण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–222/सां० दिनांक–20.03.2021 द्वारा श्री पंकज कुमार कर्ण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के विरूद्ध असंवैधानिक, अनैतिक, भ्रष्ट मनोवृत्ति मानसिकता एवं पदेन शक्ति का दुरूपयोग जैसे आरोप लागाने के आरोप में प्राप्त पूरक आरोप पत्र के आलोक में गठित पूरक आरोप प्रारूप पर निदेशालय के पत्रांक–595 दिनांक–02.06.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत श्री कर्ण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कर्ण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–18.06.2021 के समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाये जाने पर उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के पत्रांक–903 दिनांक–06.08.2021 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में पूरक आरोप पत्र को समाहित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध संचालन पदाधिकारी से किया गया।

2. प्रभारी पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–27/वि०जाँ० दिनांक–05.03.2022 द्वारा श्री पंकज कुमार कर्ण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

(i) जिला प्रशासन के कार्य करने एवं कृषि सांख्यिकी के पद पर कार्यरत रहने के बावजूद श्री कर्ण की भाषा स्वेच्छाचारिता को प्रमाणित करने में सहायक है। आरोप अंशतः प्रमाणित होता है।

(ii) आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(iii) आरोप प्रमाणित पाया गया।

(iv) आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(v) आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

<u>पूरक आरोप पत्र</u> :–आरोपित पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 3(1) (iii) एवं 3(3) का उल्लंघन के लिए दोषी हैं।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–(i) अंशतः प्रमाणित होता है, आरोप संख्या–(iii) प्रमाणित पाया गया एवं पूरक आरोप पत्र– आरोपित पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के कंडिका –3 (1)(iii)एवं 3(3) का उल्लंघन के लिए दोषी हैं, के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री पंकज कुमार कर्ण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन दिनांक–17.05.2022 में श्री कर्ण ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है:–

(I) लंबी अवधि के लिए सेक्टर पदाधिकारी के रूप में पूर्ण प्रतिनियुक्ति किये जाने से वे चुनाव कार्य सम्पन्न होने तक कृषि सांख्यिकी के कार्यो से मुक्त करने का अनुरोध किये। उनके अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए कार्य एवं दायित्वों का बँटवारा नये सिरे से जिला सांख्यिकी कार्यालय के ज्ञापांक–510/सां०दिनांक–31.08.2020 द्वारा किया गया।

इसके बावजूद उनके द्वारा प्रयोगकर्त्ताओं से प्रयोगों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग किया गया।

(II)(i) अवकाश समाप्ति के पूर्व कार्य की महत्ता को देखते हुए वे दिनांक–26.12.2019 को ससमय कार्यालय में प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के समक्ष उपस्थित हुए और उनकी मौखिक स्वीकृति /आदेश मिलने के उपरांत ही उपस्थिति पंजी पर दिनांक–26.12.2017 एवं 27.12.2019 की तिथियों में पूर्व से CL दर्ज नहीं रहने के कारण ही उपस्थिति दर्ज की । जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा न तो कोई आपत्ति/कारणपृच्छा ही की गई और न हीं वेतन अवरूद्ध किया गया, बल्कि संतुष्टोपरांत उक्त अवधि का वेतन आहरित कर सेवापुस्त में सेवा का सत्यापन किया गया।

(ii) अवकाश स्वीकृत प्राधिकार द्वारा उनके हस्ताक्षर के ऊपर में कालान्तर में CL दर्ज कर अवकाश पंजी संधारित कर लघु हस्ताक्षर दर्ज किया गया।

पूरक आरोप पत्र :–आरोप गठन से पूर्व आरोपित बिन्दुओं पर किसी भी स्तर से प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा कभी भी कोई स्पष्टीकरण या कारणपृच्छा नहीं की गई। प्रत्येक स्तर पर संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की धज्जियाँ उड़ायी गयी।

प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के असंवैधानिक कार्यों को जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा आँखें बंद कर संपुष्ट करने से वे विचलित हुए और उनकी आंतरिक मानसिक वेदना आहत् हुई जिससे उन्होंने भवदीय को अवगत कराया।

4. श्री पंकज कुमार कर्ण द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा समर्पित अपने पूर्व के अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण में किया गया है। उनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री कर्ण के अभ्यावेदन के समीक्षा से स्पष्ट है कि इनका अपने कार्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है एवं इनके द्वारा कार्यालय प्रधान तथा जिला पदाधिकारी पर बिना किसी साक्ष्य के उनके ऊपर दोषारोपण किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन अस्वीकार योग्य है।

अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पंकज कुमार कर्ण, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–20/2020 1245 /पटना, दिनांक :– 13/07/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7. श्री पंकज कुमार कर्ण, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

23

0393 स्था० 1 (का० आ०) (07 जुलाई 2022).